न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 149/2017
दायर दिनांक – 10/11/2017
निर्णय दिनांक – 07/06/2018

अनवान

1. मांगीलाल पिता सोला कुमावत मोर्रा, तहसील रेलमगरा
2. बालूराम पिता सोला कुमावत मोर्रा, तहसील रेलमगरा
3. बद्रीलाल पिता सोला कुमावत मोर्रा, तहसील रेलमगरा
4. तुलसी पिता सोला पत्नि अमरचन्द कुमावत मोर्रा, हाल निवासी माउ तहसील रेलमगरा
5. अणछी पिता सोला पत्नि मांगीलाल कुमावत मोर्रा, हाल निवासी माउ तहसील रेलमगरा
6. शंकरी पिता सोला पत्नि शंकर कुमावत मोर्रा, हाल निवासी मदारा तहसील रेलमगरा
7. कमली पिता सोला पत्नि प्याचन्द कुमावत मोर्रा, हाल निवासी भैरूखेडा तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता भैरा प्रजापत मोर्रा, तहसील रेलमगरा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने एक मुल वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् विपक्षीगण के विरूद्ध सच्चे एंव ठोस आधारों पर आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। यदि प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नगदी मे सम्भव नही होगी व

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थीगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। इसके विपरित विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की अवस्था में किसी प्रकार की क्षतिकारित नही होगी। ग्राम मोर्रा पटवारी हल्का सकरावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में प्रार्थीगण एवं विपक्षी एवं अन्य प्रतिवादीगण के सयुंक्त स्वामित्व की कृषि भूमियां आराजी संख्या 236, 238, 239 कुल किता 03 कुल रकबा 06–01 बीघा स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमियों के पुराने सबिक आराजी संख्या 369 थे एवं पुराने साबिक नम्बर की मेवाड सेटलमेंट की जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज अर्थात् प्रार्थीगण के दादा प्रताप पिता जीवा एवं रामा पिता जीवा का 1/2 हिस्सा तथा वरदा पिता रूपा का 1/2 हिस्सा अंकित था एंव उसी अनुरूप मौके पर काबिज चले आ रहे है अर्थात् प्रार्थीगण के दादा प्रताप का वादग्रस्त कृषि भूमियों मे 1/4 हिस्सा उस समय से चला आ रहा है। सेटलमेन्ट के वक्त वादग्रस्त आराजी के साबिक नम्बर के कुलिया रकबा का 3 नम्बर कंमशः 236, 238 , 239 नये नम्बर बनाये गये किन्तु राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश जो हिस्सा उसके पूर्व मेवाड सेटलमेन्ट के वक्त अंकित था उस रूप में अंकित नही कर उक्त तीनों वर्तमान आराजी मे आराजी संख्या 239 में प्रार्थीगण के पिता एवं दादी के नाम, आराजी संख्या 238 में रामा के उत्तराधिकारी गुलाब का एवं आराजी संख्या 236 मे वरदा के नाम अंकित कर दिया गया। सेटलमेन्ट अधिकारियों के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के बिना आराजी संख्या 236 में गुलाब पिता रामा एंव हेमी बेवा प्रताप का नाम हटाकर उक्त आराजी केवल मात्र वरदा पिता रूपा के नाम पर अंकित कर दी गई जबकि आराजी संख्या 238 व 239 मे वरदा पिता रूपा का नाम यथावत् रख दिया गया जिसमे वरदा का नाम राजस्व अभिलेख मे उसके हिस्से से अधिक कृषि भूमियां 3/4 हिस्सा अंकित हो गया जबकि मौके पर कब्जा पक्षकारान् का मेवाड सेटलमेंन्ट के अनुसार ही चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित भूमियों मे से वरदा पिता रूपा कुमावत ने हाल बन्दोबस्त रेकार्ड के अनुसार आराजी संख्या 369 रकबा 04–15 बीघा मे से

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को पंजीकृत विकय पत्र के जरियें विपक्षी संख्या 1 से 6 के पिता भैरा पिता प्रताप कुम्हार को दिनांक 01/10/1971 को विकय कर दिया गया इसके पश्चात् अब इस पुराने आराजी संख्या 369 मे वरदा पिता रूपा का कोई हिस्सा शेष नही रहता है वरदा द्वारा इस पुरानी आराजी संख्या 369 मे से 1/2 हिस्सा बेचान किया गया जिसके नवीन आराजी संख्या 26 रकबा 02–17 बीघा है। वरदा पिता रूपा ने उक्त प्रकार से त्रुटिपूर्ण अंकन का नाजायज रूप से लाभ उठाते हुए विपक्षी को आराजी संख्या 238 व 239 जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के और विकय कर दिया गया जबकि उक्त आराजीयात् को विकय करने का कानूनन वरदा को कोई हक अधिकार नही था जिसस वरदा द्वारा किया गया उक्त विकय पत्र प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भतः शून्य व बेअसर हैं तथा उक्त आराजी पर केतागण का कोई कब्जा नही है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 मे वर्णित भूमियों में वरदा पिता रूपा द्वारा अपना 1/2 हिस्सा विकय कर दिया गया जिसकी जानकारी विपक्षी को पूर्व से चली आ रही है इसी कारण जब पूर्व में कय की गई भूमियों का नामान्तरण करण भी वर्ष 1978 में अर्थात् दोनों ही नामान्तरणकरण एक साथ खोले गये। वर्तमान में आराजी संख्या 238 एंव 239 में प्रार्थीगण 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जबकि राजस्व रेकार्ड मे 1/4 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण का आराजी संख्या 238 व 239 मे 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकारी घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से हुई त्रुटि के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। विपक्षी के नाम पर गलत रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकन होने से प्रार्थीगण को उक्त भूमियों पर अवैध अतिकमण करने की धमकिया, ऐलानियां दी जा रही हैजिससे विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द पत्र की कलम संख्या 3 मे वर्णित आराजी संख्या 238 एंव 239 मे प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार से हस्तक्षेप, अतिकमण नही करे एंव न ही किसी अन्य से करावें। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का हेतूक आज से करीब 01 माह पूर्व तक उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमियों

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा

की जमाबंदी पटवारी हल्का से प्राप्त की तथा इससे सबंधित रेकार्ड निकलवाया तो उसे सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की जानकारी हुई, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मुलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित भूमियों को विपक्षी किसी भी प्रकार से अन्तरण नही करे एव वादीगण के उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से बाधा हस्तक्षेप, दखलन्दाजी कारित नही करे एंव न ही किसी अन्य से करावे। ताईद मे शपथ पत्र प्रस्तुत है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली विपक्षी के जवाब में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत सकरावास पर रखा गया। दौराने शिविर विपक्षी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा विरूद्ध विपक्षी अन्य पक्षकारान के साथ आप न्यायालय मे बैबुनियाद आधारों पर प्रस्तुत किया जो आप न्यायालय द्वारा निश्चित ही खारिज किया जायेगा। जिसमें प्रार्थीगण कभी भी सफल नही होगा। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 के जवाब मे कथन है कि न तो जमीन प्रार्थी के नाम पर है, न ही उसका कब्जा प्रार्थी का है ऐसे में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला नही बनता है, न ही सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष मे है तथा इन परिस्थितियों में विपक्षी के विरूद्ध पारित आदेश से विपक्षी खातेदार के हितों पर विपरित असर पडेगा जिसकी पूर्ति अर्थ मे संभव नही होगी। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 03 में वर्णित आराजी संख्या 236, 238, 239 का राजस्व ग्राम मोर्रा तहसील रेलमगरा मे स्थित होना स्वीकार है, किन्तुं आराजी संख्या 236 सयुंक्त स्वामित्व व आधिपत्य का कथन गलत हो कर अस्वीकार है, उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व जमाबन्दी सवत 2071 से 2074 मे भैरा पिता प्रताप कुम्हार

21

के स्वतंन्त्र खातेदारी मे है जिसमें किसी का कोई लेना देना या हस्तक्षेप नही है। जहां तक आराजी संख्या 238, 239 का है सयुंक्त स्वामित्व व आधिपत्य की है। जिसमें सभी खातेदार अपने अपने हिस्से माफिक जमीनों पर कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 04 जिस प्रकार से अंकित ही है वह गलत हो कर अस्वीकार है कि आराजी संख्या 236, 238, 239 के साबिक आराजी नम्बर 369 रहे हो, बल्कि वर्तमान आराजी नम्बर 236 पुराने नम्बर 369 तथा आराजी नम्बर 238 व पुराने आराजी नम्बर 369 मीन नम्बर से बने है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजी के अलावा 369 मीन का रकबा अन्य आराजी में भी गया है जैसे आराजी के अलावा 369 मीन का रकबा अन्य आराजी मे भी गया है जैसे आराजी नम्बर 240 वर्तमान है व इसके और आराजी बने है, जिसे प्रार्थी ने जानबुझकर इस दावें में शामिल नही किया है। वक्त मेवाड सैटलमेन्ट के समय रामा, प्रताप पिता जीवा का 1/2 तथा वरदा पिता रूपा जी कुम्हार का 1/2 हिस्सा दर्ज रहा । उसके पश्चात राजस्थान सरकार बनने के बाद हुए सैटलमेन्ट मे उक्त आराजी नम्बर 369 के 4 टुकडे हो गयो, जिसमे से एक टुकडा 369 मीन के रूप में आराजी नम्बर 372/1 मीन के साथ मिल गया जो उस समय जोधा, हरिराम पिता पीथा कुमावत के दर्ज हुआ जो खसरा पत्रक देखने से स्पष्ट प्रतित हो रहा है। जिसके समबन्ध में कोई कार्य नही हुई है। न ही इस प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने उन्हे पक्षकार बनाया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलन योग्य नही है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 05 गलत हो कर अस्वीकार है ,क्योंकि साबिक आराजी नम्बर 369 का मीन नम्बर बना जो 369 मीन था जो 369 का 02–17 बिघा से वर्तमान आराजी नम्बर 236 बना तथा शेष रकबे का आराजी नम्बर 236, 238, 239 बना जिसका विवरण प्रार्थना पत्री ने नही दिया, क्यो उनका रकबा आराजी नम्बर 369 मीन आराजी नम्बर 240 मे मिला यह नही बताया। जबकि वरदा जी ने अपने हिस्से मे प्राप्त आराजी को प्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के पिता भैरा जी प्रजापत से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर जरिये पंजिकृत विकय पत्र के विकय दिनांक 01/10/1971 को कर कब्जा सरेआम दिया जिस पर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थना पत्रीगण तथा प्रार्थी संख्या 7 से 12 तक के पूर्वजों के द्वारा कोई आपति नही की गई । क्योंकि उनको उनका पूरा हिस्सा मिला था तथा उसी अनुसार उनका नाम राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित किय गया था। अगर ऐसा नही होता तो वे उसी समय राजस्व कार्यवाही अमल मे ले आते। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 06 गलत हो कर अस्वीकार है । सैटलमेन्ट अधिकारियों ने तत्कालिन खातेदारों की अनुमति व स्वीकृति से ही अंकन किया जाना प्रतित हो रहा है किन्तु पुराने आराजी नम्बर 369 मीन का रकबा 240 मे क्यो मिलाया गया यह विपक्षी नही बता सकतें है, इस बाबत न तो इस प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया और नही और न ही उनके विरूद्ध दावा किया है। इसी गफलत में प्रार्थीगण ने गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। जिससे उन्हे कोई राहत इनसे प्राप्त हो सकती है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 07 में वर्णित खातेदार वरदा पिता रूपा जी द्वारा आराजी संख्या 236 रकबा 02–17 बिघा का पुरा हिस्सा विपक्षीगण के पिता भैरा को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा दिया जिस पर प्रति प्रार्थना पत्री संख्या 01 से 06 काबीज है। जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी को प्रारम्भ से ज्ञात है। जो 369 को 1/2 हिस्सा नही हो कर 1/2 से काफी कम है। क्योंकि उक्त आराजी के मीन नम्बर भी बने है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 08 जिस ढंग से लिखी है वह गलत हो कर अस्वीकार है उक्त पुर्वोक्त खातेदारों के मात्र एक आराजी ही खातेदारी मे रही हो यह साबित नही है क्योंकि वरदा जी के स्वर्गवास के पश्चात खुमा को उनसे उतराधिकार मे 06 आराजी कुल रकबा 15–19 बीघा जमीन जरिये नामान्तरण संख्या 116 से प्राप्त हुई है। अर्थात अन्य जमीने अस्तित्व में रही है। जिनका विभाजन भी हुआ है तथा वरदा जी ने अपने खातेदरी व कब्जे शुदा जमीनों का विक्रय पंजियन कराया है जो कानूनी रूप से वैध है।जिसका उन्हे ऐसा करने का पुरा अधिकार था। जो पुरी तरह से प्रारम्भ ले कर अब तक प्रभावी है, जिस पर प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का कोई हक नही है। जिस पर विपक्षी संख्या 1 अपने परिवार के साथ काबिज हो कर उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। प्रार्थना पत्र की पैरा

शवि

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संख्या 09 गलत होकर अस्वीकार है, वरदा पिता रूपा के नाम पर किसी भी प्रकार से गलत अंकन नही होकर उक्त अंकन सही है अगर गलत अंकन होता और उक्त जमीन वरदा से लेनी होती तो सोला तथा गुलाब द्वारा वरदा के जीवन काल में ही इस विक्रय को चुनौति दे दी जाती तथा अपने भाई खुमा को वरदा के गोद पुत्र दर्शाकर शेष सारी जमीनें बिना वैधानिक गोदनामा निष्पादित कराये बगैर खुमा के नाम नही करवातू, उक्त दावे मे वरदा के गोद पुत्र खुमा के वारीस पेमा, जीतू, शंकर को पक्षकार बनाये बगैर इस दावें का निस्तारण नही किया जा सकता है। वरदा द्वारा जमीनों का विक्रय करने तथा प्रतिप्रार्थना पत्रीगण के पूर्वज के नाम पर नामान्तरण के 38 वर्षों तक बावजुद पुरी जानकारी के कोई विधिक कार्यवाही नही कर तमाम मयाद पुरी गुजार दी अब इस बाबत कोई राहत या अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 10 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि विवादित आराजी एक मात्र सयुक्त खातेदारी में रही हो पुरे प्रार्थना पत्र में नही बताया है अर्थात अन्य आराजीयात भी शामिल रही है उनका क्या हुआ किस तरह से विभाजित की यह भी नही दर्शाया गया है इससे ही यही प्रतित हो रहा है की प्रार्थीगण ने बदनियती पूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी को हैरान परेशान किया जा रहा है। पिछले 35 वर्षो से भी अधिक समय के विपक्षी की खातेदारी एंव कब्जे, उपयोग शुदा जमीनों को हथियाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खातेदार वरदा द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जे शुदा जमीनो का वैध प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय किया है जिसे 35 वर्ष से भी अधिक समय गुजार कर अब चुनौतीी नही दी जा सकती है। प्रार्थना पत्री को उक्त अनुतोष जब तक सिविल न्यायालय से उक्त विक्रय को अपास्त कराये बगैर प्राप्त करने का हकदार नही है। न ही इन क्रयशुदा व विपक्षी की खातेदारी की जमीनों पर प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 10 गलत होकर अस्वीकार है। राजस्व जम्माबन्दी मे विपक्षी का नाम दर्ज है उसका परिवार मौके पर कब्जे मे को कर जमीने

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कय करने से लगायात आज तक उपयोग उपभोग करते आ रहे है।जिसका लगान हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे है। प्रार्थीगण को इसकी पूरी जानकारी है मात्र लालच के वशीभूत हो कर झूठे कथन किये है। कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नही हुआ है। विशेष कथन अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण ने विवादित विक्रय शुदा जमीनो को राजस्व अंकन को आधार बना कर आप न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया जो केता व विक्रता के स्वर्गवास हो जाने के वर्षो बाद लाये है जिसका उन्हे लाने का कोई अधिकार नही है। जब तक प्रार्थीगण उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करा ले तब तक आप न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण तीन पीढीयों गुजर जाने के वर्षो बाद तथा विपक्षी के 35 वर्षो से अधिक समय से कब्जे एंव उपयोगशुदा जमीनों को मयाद बाहर दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। वरदा जी के वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर उक्त दावा चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्री ने अपने प्रार्थना पत्र मे विपक्षी के अतिरिक्त अन्य हितधारी को पक्षकार बनाया नही बनाया है जिससें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्री का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे एंव प्रार्थना पत्रीगण के विरूद्ध धारा 35 ए के तहत मिथ्या तंग करने वाले दावे की प्रतिरक्षा करने के लिए प्रतिकारात्मक शास्ति 25000 रूपये दिलाया जावे। तथा प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस का अवसर बन्द किया जाता है।

विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 238 व 239 में स्वयं विपक्षी एवं आराजी संख्या 236 में भेरा पिता प्रताब रेकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अन्य सहखातेदार जो कि आवश्यक पक्षकार है उन्हे भी प्रकरण में वादी अथवा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नही बनाया

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

गया है जबकि उन्हे सुना जाना भी आवश्यक है जहॉ तक प्रकरण में किसी पक्षकार के हिस्से को कम या ज्यादा अंकन की बात है तो उनका निर्धारण मूल वाद के जरिये ही सम्भव है। जिससे रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नही है। ऐसी स्थिति में सुविधा, संतुलन एवं अपूरर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है।

अतः सुविधा, संतुलन एवं अपूरर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प सकरावास पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा